न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 59 / 2023
जीसीएमएस नंबरः— 2023 / 325

प्रार्थीः—

1. धूड़ीदेवी पत्नी स्व. श्री भीखगिरी, जाति स्वामी,
2. ओमगिरी पुत्र श्री भीखगिरी, जाति स्वामी,
3. कमला पुत्री श्री भीखगिरी, जाति स्वामी, निवासीयान ग्राम कैरू, तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

—::आदेश::— दिनांकः— 08/05/2025

उपस्थितिः— 1. श्री छोटूसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खेत खसरा सं. 1224 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीया वाके ग्राम कैरू, पटवार हल्का कैरू, भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र कैरू, तह. व जिला जोधपुर जो जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 की खेवट खतौनी सं. नई 34 व पुरानी 35 में दर्ज विरासत नामा. सं. 2111 दिनांक 14.10.2016 में बहैसियत सह खातेदार दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण के पिता भीखगिरी पुत्र श्री जवारगिरी रेर्कोडेड सह खातेदार थे, जिनका माफिक जमाबंदी अनुसार हिस्सा निहित था, परंतु जब उनका स्वर्गवास हो गया तब नियमानुसार उनके वारिसान का नाम विरासत नामा. सं. 2111 दिनांक 14.10. 2016 के द्वारा अमल दरामद किया गया। बाद फौतेदगी भीखगिरी के नामा. दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की माता श्रीमती धूडीदेवी सहित प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित कर दिया गया, जैसे प्रार्थीगण की माता श्रीमती धूडीदेवी के स्थान पर नाम धडीदेवी पत्नी भखगर, ओमगर पिसरान जवारगर कमला पुत्री जवारगर अंकित कर दिया गया, जबकि प्रार्थीगण का सही नाम यदि राजस्व रेकर्ड में अंकित होता तो वह श्रीमती धूडीदेवी पत्नी स्व. भीखगीरी, ओमगिरी पुत्र स्व. भीखगिरी, कमला पुत्री स्व. भीखगिरी अंकित किया जाता परंतु ऐसा नहीं कर राजस्व रेकर्ड में नामो को लेकर गलती हो गई। यही नहीं भीखगिरी का नाम भी भीखगर अंकित कर दिया गया तथा प्रार्थी सं. 2 व 3 के पिता के नाम में दादा जवारगर अंकित कर दिया गया है, जिसकी शुद्धि हेतु निवेदन करने पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने कहा कि रेकर्ड दुरूस्ती का दावा करने व डिक्री प्रस्तुत करने पर ही रेकर्ड दुरूस्ती संबंधी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 1224 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम कैरू पटवार हल्का कैरू, भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र कैरू, तह. व जिला जोधपुर में प्रार्थीगण का नाम सही अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट में कथन किया कि ग्राम कैरू की गत जमाबंदी संवत् 2060—2063 के खाता सं. 34 में खसरा सं. 1224 में वादीगण के

पिता/पत्नी का नाम भीखुगर पि. ज्वारगर दर्ज था। नामा. सं. 1262 स्वीकृत दिनांक 01.12.2004 विभाजन से खसरा सं. 1224/4 रकबा 11–03 बीघा में भीखगर पुत्र जवारगर स्वामी सा. देह खातेदार दर्ज हुआ। उक्त खसरान् में नामा. सं. 2111 स्वीकृत दिनांक 14.10.2016 विरासत से भीखगर फौत के स्थान पर धूड़ी देवी पत्नी भीखगर, ओमगर पुत्र जवारगर, कमला पत्नी जवारगर जाति स्वामी दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2080–2083 ग्राम कैरू के खसरा सं. 1224/4 रकबा 1.8049 हेक्टेयर (11–03बीघा) भूमि में ओमगर पुत्र भीखगर, कमला पुत्री भीखगर, धुड़ीदेवी पत्नी भीखगर के नाम सहखातेदारान् दर्ज है। वादीगण के वाद के वाद में अपने पिता/पति का नाम भीखगर के स्थान पर भीखगिरी करवाना चाहते है जिसकी जांच आम पूछताछ में पाया कि भीखगर व भीखगिरी नाम का एक ही व्यक्ति था जिनको आम बोलचाल में भीखगर बोला था। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 1224 रकबा 66 बीघा 16 बिस्वा ग्राम कैरू पटवार हल्का कैरू तह. व जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम भीखगिरी दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 08/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)